तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गंगाधर सोलंकी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 31/2019	
25.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गंगाधर सोलंकी पता 91, न्यू क्लॉथ मार्केट, चितौड़गढ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.12.2018 में उसके द्वारा (1) श्री अर्जुनलाल गुरू पिता श्री गाकुलराम गुरू निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर को आपके कार्यालय द्वारा जाति प्रमाण पत्र क्रमांकः प.सुगम 2008/9075 दिनांक 12.11.2008 से गुरूड़ा जाति का प्रमण पत्र से संबंधित अर्जुनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रथम आवेदन/प्रार्थना पत्र, जाति प्रमाण पत्र/ जाति बदलने बाबत् श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा को प्रस्तुत किया, उस आवेदन प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति व अन्य 5 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 288 दिनांक 07.02.19 अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा को स्थानान्तरित किया गया तथा इसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा से जरिये पत्रांक 325 दिनांक 06.02.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही जा रही है वो उनके कार्यालय से संबंधित न होकर तहसील कार्यालय बिलाड़ा से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 1785 दिनांक 20.12.18 के द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा को प्रेषित किया गया। अपीलार्थी ने अपील के संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने बिन्दु संख्या–4, 5, 6 से संबंधित जो सूचना चाहीं गई उस बाबत् लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी	

लगातार...

बिलाड़ा) द्वारा प्रार्थी को सूचित करना चाहिए, परन्तु उक्त बिन्दुओं की सूचना बाबत् प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करवाया गया जो आवश्यक था अतः लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) द्वारा ऐसा नहीं करना, विधिक प्रावधानों को आत्मसात् न करने का फल है। अन्य बिन्दुओं बाबत् सूचना तहसीलदार बिलाड़ा कार्यालय से संबंधित है तथा उनके द्वारा भी सूचना नहीं दी गई। अतः लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा/तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना दी जाय या प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।